

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 31/2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये विनोद मीणा
प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाड़ा

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल निवासी रेगरों का मोहल्ला, सरैरी तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा
2. महावीर तेली पुत्र रामचन्द्र तेली निवासी रेगरों का मोहल्ला तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.11.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 07.06.2025 को ग्राम सरैरी स्थित रेगरों का मोहल्ला, तहसील हुरडा में निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण महावीर तेली द्वारा बाबूलाल पुत्र मांगीलाल निवासी रेगरों का मोहल्ला की सेन्ट्रों कार में घर पर ही रिफ्लिंग कर रहा था। उक्त सिलेण्डर में आग लगने से एवं महावीर तेली के घायल होने पर जांच की गयी। जिसमें मौके पर उक्त जले हुये सिलेण्डर के अतिरिक्त 01 गैर रिफ्लिंग मशीन (आंशिक जली हुयी) एवं 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 110.60 के.जी. एल.पी.जी. गैस पायी गयी। विपक्षी से इस संबंध में कागजात के लिए पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस प्रकार आरोपी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 110.60 के.जी.एलपीजी एवं 01 रिफ्लिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.06.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित हैं। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी विपक्षी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक



Dr
11.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 110.60 के. जी.एलपीजी एवं 01 रिफ्लिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती) पर हस्ताक्षर किये एवं घरेलू गैस का अन्य कार्य किये जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 110.60 के.जी.एलपीजी एवं 01 रिफ्लिंग मशीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव -

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 110.60 के.जी.एलपीजी एवं 01 रिफ्लिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 110.60 के.जी.एलपीजी एवं 01 रिफ्लिंग मशीन का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नहीं होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाडा